



आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ								
80/1422	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल विविध वाद संख्या 158/2019-2020 (भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि) आदेश</p> <p>दाता अनंत गोड़इत, पिता-चुहड़मल गोड़इत ग्राम-करहरी, थाना-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="256 815 1334 1005"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>191</td> <td>10 धुर</td> <td>उत्तर-देव नन्दन सिंह दक्षिण-नीज पूरब- महादेव पश्चिम- नथुनी</td> </tr> </tbody> </table> <p>मौजा- करहरी, थाना नं०-220, थाना-करपी, अंचल-करपी, जिला-अरवल भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और न किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।</p> <p>भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है गवाह के रूप में मुंशी सिंह का हस्ताक्षर अंकित है। अंचल अधिकारी, करपी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि ज़माबंदी सहादेव दुसाध, पिता-चुहड़मल दुसाध के नाम पर दर्ज है, जो दाता के भाई है। बौध पासवान, पिता-अनंत पासवान वर्तमान में दखल कब्जा है जो पुत्र है। भूमि रैयति खाते की है एवं किस्म धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।</p>	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	18	191	10 धुर	उत्तर-देव नन्दन सिंह दक्षिण-नीज पूरब- महादेव पश्चिम- नथुनी	
खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी							
18	191	10 धुर	उत्तर-देव नन्दन सिंह दक्षिण-नीज पूरब- महादेव पश्चिम- नथुनी							